न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला—पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 82 / 2023

प्रार्थीगण

1. मांगीलाल पुत्र डावरराम
2. गजेन्द्र पुत्र मांगीलाल
3. लक्ष्मणराम पुत्र मांगीलाल
4. कमलादेवी पत्नी भुण्डाराम जातिगण सीरवी निवासीगण रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कुनाराम पुत्र नवलाराम
2. चुनाराम पुत्र नवलाराम
3. केसाराम पुत्र भानाराम
4. घेवरराम पुत्र मादाराम
5. जगदीश पुत्र मांगीलाल
6. नेमाराम पुत्र नारायणलाल
7. नारायणलाल पुत्र मोडाराम
8. पारसमल पुत्र नारायणलाल
9. भंवरलाल पुत्र नारायणलाल
10. मन्जू पुत्री मांगीलाल
11. मूलाराम पुत्र पिथाराम
12. मोतीराम पुत्र भानाराम
13. रतन पुत्र मांगीलाल (जरिये संरक्षक माता चम्पादेवी पत्नी मांगीलाल)
14. राकेश पुत्र मांगीलाल
15. राजःराम पुत्र मांगीलाल (जरिये संरक्षक माता चम्पादेवी पत्नी मांगीलाल)
16. हगाराम पुत्र नारायणलाल
17. हेमीबाई पुत्री पिथाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण ग्राम रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0।
18. चन्नीलाल पुत्र धनाराम
19. भोलाराम पुत्र धनाराम
20. लाबुराम पुत्र धनाराम जातिगण सीरवी निवासीगण ग्राम रामासनी बाला तह0 सोजत जिला पाली राज0।
21. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।
22. कमला पुत्री नारायणलाल
23. कैलाशचन्द पुत्र कुनाराम
24. गवरी पुत्री नारायणलाल
25. चम्पा देवी पत्नी मांगीलाल जातिगण मेघवाल निवासीगण रामासनी बालां तह0 सोजत जिला पाली राज0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला—पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 17/07/25

उपस्थितः—

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक :— 17/07/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बालां पटवार हल्का रामासनी बाला, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खारिया नींव तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 406 खसरा नम्बर 67 रकबा 1.5900 है0 में पहुंचने के लिए ग्राम रामासनी बाला में स्थित ख.नं. 74 किस्म

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

गै0मु0 रास्ता से होते हुए अप्रार्थीगण की भूमि के ख0नं0 73 रकबा 0.7500 है0 व खसरा नंबर 72 रकबा 1.0400 है0 व खसरा नंबर 70 रकबा 0.3200 है0 में से नया मार्ग अपनी खातेदारी खसरा नंबर 67 रकबा 1.5900 हैक्टर में जाने का आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि ख.नं. 67 तक आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 73, 72 एवं 70 में से 20 फुट रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा संख्या 67 तक पहुंचने के लिये अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 73, 72 एवं 70 की भूमि में से आने-जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर, गाड़ी, छकड़ा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के खेत तक पंहुचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रामासनी बाला के खसरा संख्या 67 रकबा 1.5900 हैक्टर की भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 73 रकबा 0.7500 हैक्टर व खसरा संख्या 72 रकबा 1.0400 हैक्टर व खसरा नंबर 70 रकबा 0.3200 हैक्टर में से 20 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवम् उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1340 दिनांक 12.09.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 खारीया नींव, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थी के ख0नं0 67 एवं समीपवर्ती खसरों का मौका मुआयना किया ख. नं. 74 गै0मु0 रास्ता से सटते रामासनी बाला के ख.नं. 73, 72 व 70 में से होकर प्रार्थी के खातेदारी ख.नं0 67 आवागमन हेतु प्रस्तावित मार्ग निकटतम व लघुतम है, जिसका नजरी नक्शा में अंकित हैं। मौके पर सभी खसरे काश्तसुदा हैं। प्रस्तावित रास्ता ख.नं. 73 में से 28 मी0, ख.नं. 72 में से 96 मी0 तथा ख.नं. 70 में से 80 मी0 हैं। जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 204 मीटर × 4 मीटर = 0.0816 है0 हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

196466/– रूपये प्रति हैक्टर हैं। जिसके अनुसार (196466/– रू0 × 2 × 0.0816 है0 = 32063.25/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 73, 72 व 70 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत खारीया नींव की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम रामासनी बालां के खसरा नम्बर 67 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 73, 72 व 70 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार ''1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।'' चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 खारीया नींव, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 73, 72 व 70 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला–पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बाला पटवार हल्का रामासनी बाला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खारीया नींव तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 67 रकबा 1.5900 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु ख.नं. 74 किसम गै0मु0 रास्ता अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

के खसरा नंबर 73, 72, 70 की कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (196466/- रू0 × 2 × 0.0816 है0 = 32064/- रूपयें उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

क0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	73 बा.अ.	0.7500	कमला पुत्री नारायणलाल हिस्सा– 1/240 जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार	28 मी0× 4 मी0 = 0.0112 है0	81.2 /–रू
			कैलाशचन्द्र पुत्र कुनाराम हिस्सा– 1/8 जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार		2436.25 /–रू
02.	72 बा.अ.	1.0400 है0	केसाराम पुत्र भानाराम हिस्सा– 1/24 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार	96 मी0× 4 मी0 = 0.0384 है0	812 /–रू
			गवरी पुत्री नारायणलाल हिस्सा– 1/240 जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार		81.2 /–रू
			घेवरराम पुत्र मादाराम हिस्सा– 2/15 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार		2598.66 /–रू
			राहिन हिस्सा–1/10 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इंड़िया शाखा जाडन		
			चुनाराम पुत्र नवलाराम हिस्सा– 1/8 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार		2436.25 /–रू
			चंपा देवी पत्नि मांगीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– मेघवाल खातेदार		650 /–रू
			जगदीश पुत्र मागीलाल हिस्सा– 1/20 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार		974.5 /–रू
			नेमाराम पुत्र नारायणलाल हिस्सा– 7/240 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार		568.4 /–रू
			पारसमल पुत्र नारायणलाल हिस्सा– 7/240 जाति– मेगवाल सा. देह खातेदार		568.4 /–रू
			भवरलाल पुत्र नारायणलाल हिस्सा– 7/240 जाति– मेघवाल सा. देह खातेदार		568.4 /–रू

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

			मुलाराम पुत्र पीथाराम हिस्सा— 2/15 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार मीरा पत्नि भानाराम हिस्सा— 1/24 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार मोतीराम पुत्र भानाराम हिस्सा— 1/24 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार नाबालिग रतन पुत्र मागीलाल सरंक्षक माता चम्पादेवी हिस्सा— 1/60 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार राकेश पुत्र मागीलाल हिस्सा— 1/60 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार नाबालिग राजाराम पुत्र मागीलाल सरंक्षक माता चम्पादेवी हिस्सा— 1/60 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार हगाराम पुत्र नारायणलाल हिस्सा— 7/240 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार हेमीबाई पुत्री पिथाराम हिस्सा— 1/10 जाति— मेगवाल सा. देह खातेदार		2598.66 /—रू 812 /—रू 812 /—रू 324.83 /—रू 324.83 /—रू 324.83 /—रू 568.4 /—रू 1949 /—रू
03.	70 बा0अ0	0.3200 है0	भोलाराम पुत्र धनाराम हिस्सा— पूर्ण जाति— सीरवी सा. देह खातेदार,	80 मी0× 4 मी0 = 0.0320 है0	12574 /— रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 17/07/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)